

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0सं0 / 296 / 2019

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित,

तहसीलदार, माण्डलगढ

विषय :- पत्थरगढी करने बाबत।

उनवान

- 1 भवाना उर्फ भगवान पिता श्रीराम भीणा निवासी कचोलिया कलों तहसील माण्डलगढ।

—प्रार्थी

बनाम


- 1 रतनसिंह पिता भैरुसिंह राजपूत निवासी कचोलिया खुर्द तहसील माण्डलगढ।
- 2 समदिया पिता जागिया कंजर निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ।
- 3 गोपाल पिता हरदेव धाकड़ निवासी गणेशपुरा तहसील माण्डलगढ।
- 4 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम कचोलिया खुर्द प.ह. श्रीनगर की सरहद में स्थित खाता संख्या 28 की आराजी संख्या 165/6, 206/3 किता 2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि वशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी कमिश्नर फीस 500/- रुपये मौके पर वक्त पत्थरगढी अदा करें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावें तो राक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।


उत्साह बौधरी(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

